भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3594

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्र विनियमित करना

3594. श्री रुद्र नारायण पाणी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारखानों के घरेलू इस्पात संयंत्रों को विनियमित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) ओडिशा के ढेंकानाल और अंगुल जिलों में घरेलू इस्पात कारखानों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त कारखानों में बेरोजगार स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात संयंत्रों की स्थापना से संबंधित निर्णय उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकीय-वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर लिये जाते हैं। इस्पात संयंत्र स्थानीय औद्योगिक, श्रम और पर्यावरणीय कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं। ढेंकानाल और अंगुल जिले में क्रमश: 15 और 9 इस्पात इकाईयां हैं। **(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)**

****